

'खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र'
(राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

सेवा में,
श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
हमीरगढ़
विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।
महोदय .

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम अरझोद की जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 348 में मसरी दल का नाम दर्ज है जबकि वास्तविक नाम अशोक है जिसे अशोक करने की कृपा करे।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक

प्रार्थी

.....)

रिपोर्ट पटवारी एवं भूअनिरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम अरझोद के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 348 में प्रार्थी का नाम अशोक पुत्र मसरी दर्ज है। जबकि मुताबिक सलंगन दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम अशोक पुत्र मसरी है जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

भूअनि

पटवारी

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी अरझोद व भूअनि अरझोद एवं प्रार्थी द्वारा सलंगन दस्तावेज के आधार पर ग्राम अरझोद की जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 348 में प्रार्थी का नाम अशोक पुत्र मसरी के बजाय अशोक पुत्र मसरी किये जाने हेतु अनिर्वाह की जाती है।

47/25
7/3/25

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
हमीरगढ़

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हमीरगढ़ ग्राम अरझोद जमाबन्दी संवत् 2076-2079 खाता संख्या 348 में दर्ज प्रार्थी का नाम अशोक पुत्र मसरी के स्थान पर अशोक पुत्र मसरी संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।